



3011

दृष्टान्त - 2280700

2280710

नव बैला केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2196 / 05/76 / एक / 2015-16
रोड में,

दिनांक : 25 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-हापुड।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी द्वेषों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान राख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0198000102287147	IFSC Code PUNB0019800	19.527

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किलत की धनराशि का प्रेषण
1	हापुड	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०५० हापुड	जगन्नाथपुरी (कृष्णानगर) में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.491
2	हापुड	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०५० हापुड	हर्ष विहार भाग-बी में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.036
	योग				19.527

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी द्वेषों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रयोग दराए में सम्बन्धित पत्रावली में स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर सिया जाये।

- उ०३० सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी द्वेषों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रयोग दराए में सम्बन्धित पत्रावली में स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर सिया जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर सिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनानार्तक कार्य हेतु पूर्ति में राज्य सरकार अथवा यिन्हीं अन्य श्रोत्र रो धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य यिन्हीं अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्वागत अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाप्ति के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में रकीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वादा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों



३०/१२

दूरध्वाः 2288700

2288710

नव घेता केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शारान द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्यों के अनुसार निहित गद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराये। इस प्रकार कराये कि वे प्रस्तुत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रस्तुत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुगम्य न होगा, शारान द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शारान द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुगम्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं द्वितीय किशत में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रमाणि सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लला प्रताप सिंह)
पिता नियन्त्रक(लला प्रताप सिंह)
पिता नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामबान्धेत जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।।
3. अधिकारी अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।